अम्बाह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बाह जिला मुरैना (म. प्र.)

शासी निकाय की बैठक दिनांक - 17/06/2023
स्थान - प्राचार्य कक्ष, महाविद्यालय, अम्बाह
समय - प्रात: 11:00 बजे

मीटिंग में उपस्थित/अनुपस्थित पदाधिकारियों / सदस्यों की हस्ताक्षर युक्त सूची-

1. डॉ. ओ. पी. शुक्ला	-	अध्यक्ष शासी निकाय	- उपस्थित
2. श्री राज कुमार व्यास	-	सदस्य	- उपस्थित
3. श्री गुणाकर शर्मा, एडवोकेट	-	सदस्य	- उपस्थित
4. श्री प्रवीण शर्मा, एडवोकेट	-	सदस्य	- उपस्थित
5. श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा	-	सदस्य	- उपस्थित
6. श्री संजय शर्मा, उद्योगपति	-	सदस्य	- अनुपस्थित
7. डॉ. राधा तोमर (आचर्य रसायन S. O. S ग्वालियर)	-	सदस्य (वि. वि प्रतिनिधि)	-अनुपस्थित
8. डॉ. के. रत्नम (अति. संचालक उच्च शिक्षा)	-	शासन प्रतिनिधि	- अनुपस्थित
9. प्रो. रेखा भदौरिया से. नि. प्राध्यापक, जी. वि. वि. ग्वालियर	-	यू. जी. सी. प्रतिनिधि	-अनुपस्थित
10. प्रो. विश्वास मेढेकर सहायक प्राध्यापक, गणित	-	सदस्य (शिक्षक प्रतिनिधि)	-उपस्थित
11. डॉ. कमल भारद्वाज सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र	-	सदस्य (शिक्षक प्रतिनिधि)	-उपस्थित
12. डॉ. शिवराज सिंह तोमर प्राचार्य, महाविद्यालय अम्बाह	-	पदेन सचित	- उपस्थित

आज दिनांक 17/06/2023 को प्रात: 11:00 बजे महाविद्यालय शासी निकाय की बैठक अध्यक्ष डॉ. ओ. पी. शुक्ला की अध्यक्षता में महाविद्यालय प्राचार्य कक्ष में संपन्न हुई जिसमें निम्न ठहराव पारित किये गये :-

1. शासी निकाय की पिछली बैठक दिनांक 28/11/2022 की मिनिट्स पुष्टि हेतु प्रस्तुत की गई, जिसकी पुष्टि की गई। साथ ही बस सेवा अनुबंध पर दो माह के लिए कक्षाऐं प्रारंभ होने के पश्चात प्रारंभ की जावे।

2. स्वशासी व्यवस्था की वित्त समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 एवं 16/06/2023 की मिनिट्स पुष्टि हेतु प्रेषित की गई, जिनकी पुष्टि की गई।

3. संस्था का **अनुमानित बजट 2023 - 24** (युक्ति यक्ति बजट - गठित कमैटी द्वारा तैयार किया गया) पुष्टि हेतु समिति में प्रस्तुत किया गया, निर्णय लिया गया कि युक्ति युक्ति बजट आगामी सत्र से प्रारंभ किया जावे। इसके साथ ही अनुमानित बजट की पुष्टि की गई।

4. महाविद्यालय के ऑडिटेड लेखे ऑडिटर से प्राप्त न होने से प्रस्तुत नहीं हो सके। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि अगले 15 दिन में ऑडिट करा कर प्रस्तुत करें।

5. नैक एवं ऑटोनोमस रिव्यू की जानकारी से समिति को अवगत कराया गया।

6. सत्र 2023 - 24 में प्रवेश के संबंध में शासन से प्राप्त होने वाली जानकारी से समिति को अवगत कराया गया।

7. अन्य :- **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से**

1. डॉ. रीटा ठस्सू के पत्र दिनांक 10/05/2023 पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश शासन के अशासकीय शिक्षण संस्था अनुदान का प्रदाय अधिनियम (संशोधित) तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07/01/2014 (सिविल अपील 6415/2004) के अनुसार दिया जाना संभव नही है।

2. प्राचार्य पद की पूर्ती हेतु प्रकरण समिति में प्रस्तुत किया गया तथा रिकार्ड अनुसार प्रास्तुत की गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में व्यवस्था हेतु वरिष्ठतम सहायक प्राध्यापक प्रो. व्ही. मेडेकर को प्राचार्य का प्रभार दिया जावे यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही शासन के निर्देशानुसार जानकारी भेजी जावे।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रेषित कर मीटिंग की कार्यवाही समाप्त की गई।

हस्ताक्षर/-
डॉ. शिवराज सिंह तोमर
प्राचार्य/ सचिव

हस्ताक्षर/-
डॉ. ओ. पी. शुक्ला
अध्यक्ष शासी निकाय

हस्ताक्षर:-

1. श्री गुणाकर शर्मा, एडवोकेट
2. श्री राज कुमार व्यास
3. श्री प्रवीण शर्मा, एडवोकेट
4. श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा
5. प्रो. विश्वास मेढेकर, सहायक प्राध्यापक, गणित
6. डॉ. कमल भारद्वाज, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र